(79)

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2842–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–4–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 136/अपील/2004–05.

---

सिराज बी पुत्री मुन्नू खॉ
निवासी जेल रोड, सिवनी मालवा
जिला होशंगाबाद .....आवेदिका

**विरूद्ध**

हुसैन खॉ आत्मज शेख मुन्नू (मृतक)
द्वारा वैधानिक वारिस

(1) सुगरा बी विधवा हुसैन खॉ
(2) मंसूर खान आ0 हुसैन खान
(3) मंजूर खान आ0 हुसैन खान
(4) रियाज खान आ0 हुसैन खान
निवासीगण मस्जिद मोहल्ला
सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद
(5) रूकसाना पत्नी अखतर मंसूरी
पुत्री स्व. हुसैन खान
निवासी हिमालय टेलर्स
प्रताप टाकीज के पास, हरदा
(6) रिहान पत्नी गुल्लू खान
निवासी फाईलवार्ड बंगला टप्पर
हरदा जिला हरदा
(7) फरजाना पत्नी रफीक मंसूरी
निवासी जुमेराती होशंगाबाद
8– मध्यप्रदेश शासन
(9) शाकरा बी पत्नी जमील अहमद
निवासी इटारसी जिला होशंगाबाद
10– जाकरा बी पत्नी रहमान खॉ
निवासी छोटी बजरिया होशंगाबाद
11– जेहरा बी पत्नी हहीब खॉ
निवासी छोटी बजरिया, होशंगाबाद

12– मुनीरा बी पत्नी हबीब खॉ
निवासी न्यास कॉलौनी, इटारसी
जिला होशंगाबाद
(13) शेख अख्तर आ0 शेख मुन्नू
निवासी जेल रोड, सिवनी मालवा
जिला होशंगाबाद .....अनावेदकगण

———

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/12/13 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–4–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि छोटी बाई द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं नजूल अधिकारी, सिवनी मालवा द्वारा प्रकरण कमांक 94अ/6 वर्ष 83–84 में पारित आदेश दिनांक 30–8–91 के विरूद्ध कलेक्टर, होशंगाबाद के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 13–2–2003 को प्रस्तुत की गई । चूंकि प्रथम अपील समय बाह्य प्रस्तुत की गई थी, इसलिए विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर द्वारा नियमानुसार निराकरण हेतु प्रकरण अपर कलेक्टर को भेजा गया । अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 28अ/6 वर्ष 2003–04 दर्ज कर दिनांक 30–6–2005 को आदेश पारित कर प्रथम अपील समय बाह्य मानकर निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 4–4–2013 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका की ओर से लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार यह है कि प्रश्नाधीन सम्पत्ति स्व. छोटी बी के स्वामित्व की अभिलिखित सम्पत्ति होने से कथित अमानत बी एवं नसरत बी को विकय पत्र निष्पादित करने का कोई अधिकार ही नहीं था, और ऐसे तथाकथित रूप से निष्पादित

विकय पत्र के आधार पर मृतक हुसैन खां को प्रश्नाधीन सम्पत्ति पर कोई हक व अधिकार उद्भूत नहीं होते हैं ।

(2) मूल प्रकरण कमांक 94अ/6 वर्ष 1983–84 में नजूल निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट दिनांक 16–10–84 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि प्रश्नाधीन सम्पत्ति छोटी बी के नाम दर्ज है, किन्तु रजिस्ट्री अमानत बी एवं नसरत बी ने की है । इसके बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी एवं नजूल अधिकारी, सिवनी मालवा द्वारा विधि एवं प्रकिया के सर्वथा परे कथित मुस्लिम समुदाय के लोगों के आवेदन पत्र के आधार पर हुसैन के कथित कब्जे और छोटी बी के दूसरी शादी को आधार बनाते हुए दिनांक 30–8–91 को आदेश पारित करते हुए विकय पत्र के आधार पर मृतक हुसैन खां का नाम प्रश्नाधीन सम्पत्ति पर दर्ज कर दिया गया है, जबकि शेष भाग पर आज तक स्व. छोटी बी का नाम दर्ज चला आ रहा है ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी एवं नजूल अधिकारी, सिवनी मालवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–8–91 सर्वथा विधि विरूद्ध आदेश है, जिसे चुनौती देने में समयावधि की कोई बाधा नहीं है, क्योंकि यह सुस्थापित है कि ऐसे विधि विरूद्ध आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है, जिसे अनदेखा कर समयावधि के आधार पर आदेश पारित करने में दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा गंभीर भूल की गई है ।

(4) दूसरा महत्वपूर्ण आधार यह है कि दिनांक 17–8–91 को छोटी बी के फर्श पर फिसलने से चोटें आने और आराम करने की व्यवस्थाओं के चलते अपनी पुत्री आवेदिका के माध्यम से प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर दिनांक 4–3–2002 को प्रथम बार जानकारी प्राप्त होने से दिनांक 5–3–2002 को ही अपर कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी, जो कि जानकारी के दिनांक से समयावधि में थी, किन्तु अपर कलेक्टर द्वारा इस बिन्दु को अनदेखा करते हुए बिना कोई निष्कर्ष दिये आलोच्य आदेश पारित कर समयावधि से परे अपील मानकर खारिज करने में गंभीर भूल की गई है ।

(5) आवेदिका की ओर से प्रस्तुत अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र का कोई लिखित जवाब अनावेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है, और न ही उक्त आवेदन पत्र के खण्डन में कोई प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं । ऐसी स्थिति में आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र अखण्डनीय होकर स्वीकार किये जाने योग्य थे,

किन्तु उसके विपरीत अपील समयाविध से परे मानते हुए खारिज करने में अपीलीय न्यायालयों द्वारा गंभीर भूल की गई है ।

(6) दोनों अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश में मूल विषय पर कोई भी दृष्टिपात नहीं किया गया है, और बिना तथ्यों की गहराई में गये औपचारिक रूप से आदेश पारित करते हुए अपील खारिज की गई है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है, अतः प्रश्नाधीन सम्पत्ति से स्व. हुसैन खां का नाम निरस्त कर स्व. छोटी बी के उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज किया जाना ही सर्वथा न्यायानुकूल है तथा मुस्लिम समाज के लोगों के कथित आवेदन पत्र के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी एवं नजूल अधिकारी, सिवनी मालवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–8–91 निरस्त किये जाने योग्य होने से आलोच्य आदेश भी सर्वथा निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

4/ आवेदिका की ओर से लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व अभिलेखों में प्रश्नाधीन भूमि छोटीबाई के नाम दर्ज थी । हुसैन खॉ द्वारा जिस विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण चाहा गया था, वह विक्रय पत्र भूमिस्वामी छोटीबाई के द्वारा निष्पादित ही नहीं किया गया था । भूमिस्वामी छोटीबाई द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं नजूल अधिकारी के समक्ष प्रश्नाधीन भूमि हुसैन खॉ को नहीं बेचने के सम्बन्ध में आपत्ति उठाई गई थी, इसके बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी एवं नजूल अधिकारी द्वारा छोटीबाई की आपत्ति निरस्त कर हुसैन खां का नामांतरण करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । प्रकरण में स्वत्व का प्रश्न स्पष्ट रूप से अंतर्निहित है । ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर को अपील को समय–सीमा में मानकर गुण–दोष पर निराकरण करना चाहिए था, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं कर तकनीकी आधार पर अपील अवधि बाह्य मान्य कर निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है । इस सम्बन्ध में 1987 आर.एन. 425 दिलीपबाई विरूद्ध शिवचरन तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया :–

> "धारा 47, 44 तथा 110–समय वर्जित अपील–बिना हक के नामांतरण–परिसीमा का वर्जन नहीं–अपील गुण–दोषों पर निर्णीत करना चाहिए ।"

1994 आर.एन. 302 मुन्ना विरूद्ध तुलसी तथा अन्य में निम्नलिखित न्याय सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

''धारा 5–परिसीमा का प्रश्न–आदेश अधिकारिता रहित–ऐसा आदेश किसी भी समय आक्षेपित किया जा सकता है–परिसीमा का वर्जन नहीं ।''

अपर आयुक्त द्वारा भी उपरोक्त स्थिति पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में भूल की गई है । अतः उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टान्तों के प्रकाश में अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं हैं । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण कलेक्टर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे अपील को समय–सीमा में मानकर, गुण–दोष के आधार पर आदेश पारित करें ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–6–2005 एवं अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–4–2013 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण कलेक्टर को उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर